[2021] 13 S.C.R 964

अनिता रानी

बनाम

अशोक कुमार और अन्य

(सिविल अपील संख्या 7750-7751 / 2021)

16 दिसंबर, 2021

[हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमणियम, न्यायमूर्तिगण]

सिविल मुकदमा: *पैसे की वसूली के लिए मुकदमा - इस मामले में, प्राथी ने प्रतिवादियों के खिलाफ पैसे की वसूली के लिए दो मुकदमे दायर किए। प्राथी और प्रतिवादी रिश्तेदार हैं। पहले मुकदमे में, प्रतिवादी ने एक चेक के माध्यम से प्राथी से रु. 10,50,000/- की राशि उधार ली, जिसमें से रु. 5,00,000/- को प्रतिवादी ने वापस कर दिया और शेष राशि छह महीने के भीतर वापस करने का वादा किया, लेकिन वह वापस नहीं कर पाए-दूसरे मुकदमे में, प्राथी और उसके पति ने प्रतिवादी के साथ उसके ज़मीन जायदाद का कारोबारमें शामिल हुए जिसमें प्रतिवादी ने अनधिकृत तरीके से प्राथी के खातों से विभिन्न राशियाँ निकाली या स्थानांतरित की जिसकी कुल राशि रु. 54,50,000/- थी- निचली अदालत ने दोनों मुकदमों को खारिज कर दिया- पहली अपीलीय अदालत ने अपील को स्वीकार किया- प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया जिसके परिणामस्वरूप दो पैसे के मुकदमों को खारिज कर दिया गया- अपील पर, निर्णय दिया गया: पहले मुकदमे में, प्रतिवादियों द्वारा रखी गई रक्षा थी कि उनके द्वारा की गई रु. 5,00,000/- की भुगतान राशि पूरी और अंतिम समझौते के रूप में थी। हालांकि, प्रतिवादी ने प्राथी से कोई प्राप्ति और लिखित समझौता/समाधान नहीं लिया था। जब एक पक्ष कुछ राशि के पूर्ण और अंतिम समझौते में भाग रूप में पुनः भुगतान करने का दावा करता है, तो उस पर समझौते का बोझ होता है। यह बोझ प्रतिवादी ने उत्तरदायित्व नहीं उठाया। अतः, प्राथी को पहले मुकदमे में सफल होने का हक है। दूसरे मुकदमे में, प्रतिवादियों की रक्षा थी कि राशियाँ ज़मीन जायदाद का कारोबारमें संपत्तियों की खरीददारी और बिक्री के लिए अधिकृत भुगतान को प्रकट करती थीं और उन राशियों में से रु. 30,00,000/- को प्रेम और स्नेह के रूप में किए गए*

भुगतान के रूप में माना जाता था। प्रतिवादियों पर यह बोझ था कि वह व्यापारिक सौदों को दिखाएं, हालांकि, प्रतिवादी द्वारा किसी भी खाता पुस्तिका को प्रस्तुत नहीं किया गया था जो दिखा सके कि राशियाँ व्यापारिक सौदों के लिए बहर गई थीं। अगर प्राथी ने रु. 30,00,000/- को प्रेम और स्नेह के रूप में किए गए भुगतान के रूप में माना होता, तो पंचायत की आवश्यकता नहीं होती, जिससे प्रतिवादियों द्वारा प्राथी को पाँच महीने के अंतर में पूरे और अंतिम समाधान में रु.5,00,000/- का भुगतान किया गया। वह एकमात्र सबूत जिसके आधार पर भुगतान की निःस्वार्थ प्रकृति को साबित किया जा रहा है, वह प्राथी द्वारा शपथ ली गई हलफनामा है, लेकिन इसमें प्राथी का हस्ताक्षर नहीं था। अतः, प्रतिवादियों द्वारा निःस्वार्थ भुगतान का दावा स्थापित नहीं हुआ था। मुकदमा निर्णय किया गया।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित किया:1. **पहला मुकदमा रु.5,50,000/- की वसूली के लिए था, जो रु.10,50,000/- में से अदूसित रह गया था, जोकि कथित तौर पर ऋण के रूप में चेक द्वारा भुगतान किया गया था। प्रतिवादियों द्वारा 18.11.2003 को रु.10,50,000/- की प्राप्ति स्वीकार की गई थी। इसी प्रकार, प्राथी अपीलकर्ता को 7.08.2006 को रु.5,00,000/ का पुनर्भुगतान प्रतिवादियों द्वारा स्वीकार किया गया। प्रतिवादियों द्वारा उठाया गया एकमात्र बचाव था कि उनके द्वारा 7.08.2006 को किए गए रु.5,00,000/ के भुगतान को पूरी और अंतिम समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए। पूरी और अंतिम समाधान को दिखाने के लिए प्रतिवादियों ने दो तीसरे पक्ष के मध्यस्थों को परीक्षित किया। लेकिन प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता से यह स्वीकार नहीं किया कि 7.08.2006 को रु.5,00,000/ का भुगतान पूरी और अंतिम समाधान में था। इसमें किसी भी समझौते/समाधान का लिखित स्मृति-पत्र भी नहीं था। जब एक निश्चित राशि का भुगतान और केवल उसके एक हिस्से का पुनर्भुगतान मान्यता प्राप्त है, तो उस पक्ष पर जो कहता है कि ऐसा भाग पुनर्भुगतान पूर्ण और अंतिम समाधान में किया गया था, उस पर बड़ा बोझ होता है कि वह दिखाए कि समाधान हुआ था। जब सभी लेन-देन केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से हुए हैं और प्रतिवादी ने दावा किया है कि व्यापारिक सौदे थे, तो इस प्रकार के मामलों में तथाकथित तीसरे पक्ष के मध्यस्थों का मौखिक सबूत पूरी और अंतिम समाधान को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह अविश्वसनीय है कि प्रतिवादी, जो ऐसा समझौता पहुंचे थे, उसे या तो एक स्मृति पत्र के रूप में या एक प्राप्ति के रूप में काले और सफेद में दर्ज करवाने में विफल रहे। पहले मुकदमे में प्रतिवादियों द्वारा यह बोझ संपन्न नहीं किया गया और इसलिए प्राथी पहले मुकदमे में सफल**

होने का अधिकारी था। उच्च न्यायालय ने इस पहलु को पूरी तरह से अनदेखा किया। [अनुच्छेद 16, 18]

2. दूसरे मुकदमे की बात करते हुए, अपीलकर्ता का मामला था कि प्रतिवादी द्वारा अनधिकृत रूप से उनके खातों से विभिन्न राशियों को या तो निकाला गया था या स्थानांतरित किया गया था और इस प्रकार से ली गई राशियों का कुल योग रु.54,50,000/ था। प्रतिवादियों का बचाव था कि यह राशियां संपत्तियों की खरीददारी और विपणन में स्वीकृत भुगतान को प्रकट करती थीं और उस राशि में से एक राशि रु.30,00,000/ को प्रेम और स्नेह के रूप में की गई भुगतान के रूप में माना गया। ऐसे मामले में, प्रतिवादियों को असली स्थिति व्यापार के हिसाब किताब प्रस्तुत करने और दिखाने की जिम्मेदारी है कि उन राशियों का कैसे हिसाब किया गया। प्रतिवादियों ने किसी भी खाता पुस्तिका का उत्तराधिकार प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए, प्रतिवादियों ने यह मान लिया कि सभी राशियाँ एक असली स्थिति व्यापार में निवेश थीं और इसका एक हिस्सा अन्यथा भुगतान के रूप में मान्यता प्राप्त की गई थी। व्यापारिक सौदों में निवेश और अन्यथा भुगतान सामान्यतः साथ नहीं चलते। पहले मामले की तरह, अपीलकर्ता के खाते से प्रतिवादियों के खाते में पैसे की प्रवाह को स्वीकार किया गया। जबकि अपीलकर्ता ने ऐसे पैसे की प्रवाह को अनधिकृत निकासी/स्थानांतरण के रूप में मार्क किया, प्रतिवादी ने उसे असली स्थिति व्यापार में निवेश का हिस्सा माना। इस तरह के बचाव की प्रक्रिया के प्रकार, दूसरे मुकदमे में भी, बचाव के ऊपर था कि वहां व्यापारिक लेन-देन थे और कि राशि पूरी तरह से खाते में आई थी और खाता किसी व्यापार के अंदर समाहित और खाते में शामिल की गई थी यह दिखाने के लिए, लेकिन बचाव द्वारा खाता-बही नहीं प्रस्तुत की गई थी कि जिससे सिद्ध हो कि प्रधान के बैंक खाते से बह रही राशि व्यापार के अंदर समाहित और खाते में शामिल की गई थी। [अनुच्छेद-19,20]

3. भुगतान के निःशुल्क प्रकृति की रक्षा के संबंध में, जिसके आधार पर भुगतान के निःशुल्क प्रकृति को साबित किया जाने की कोशिश की जाती है, वह केवल प्रमाण पत्र प्रदर्शन डी 3 है, लेकिन इसमें अपीलकर्ता का हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए, मुफ्त भुगतान का दावा अविश्वसनीय है और प्रतिवादियों द्वारा स्थापित नहीं किया गया। इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय और फैसलों को रद्द कर दिया जाता है और पहली अपीलीय अदालत के निर्णय और फैसले पुनः स्थापित किए जाते हैं। [अनुच्छेद 24, 28]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बी.के. मोंडल और पुत्रों" AIR 1962 SC 779 : [1962] 1 सप्ल. SCR 876 - संदर्भित।

याचिका कानून संदर्भ

[1962] 1 सप्ल. सी.आर. 876 संदर्भित किया गया पैरा 26

सिविल अपीलीय अधिकारिकता: सिविल अपील संख्या 7750- 7751 / 2021

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्णय और आदेश से दिनांक 20.03.2018 में आर एस ए संख्या.6134 / 2015 (ओ एंड एम) और आर एस ए संख्या.130 / 2016 (ओ एंड एम)

राजीव भल्ला, मिस ज्योति मेंदिरत्ता, वकील अपीलकर्ता के लिए।

निधेश गुप्ता, वरिष्ठ वकील, जी बालाजी, वकील प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय प्रदान किया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान किया गया।

2. जिसके द्वारा वह दो धन याचिकाएं जो उसने दायर की थीं, वे मुख्य अदालत द्वारा खारिज की गई थीं, लेकिन पहली अपीलीय अदालत द्वारा प्रतिस्थापित की गई थीं और पहली अपीलीय अदालत द्वारा पारित दो दूसरी अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिए गए थे, याचिकाकर्ता-अपीलार्थी वापस स्क्वेयर वन में है और उपरोक्त अपीलों में हमारे सामने है।

3. हमने श्री राजीव भल्ला, अपीलार्थी के प्रतिष्ठित वकील और श्री निधेश गुप्ता, प्रतिवादियों के प्रतिष्ठित वरिष्ठ वकील, से सुनवाई की है।

4. अपीलार्थी ने यहाँ न्यायिक आदेश के संख्या 15643 और 15592 / 2007 में प्रतिवादियों के खिलाफ दो मुकदमे दायर किए, जो नागरिक न्यायाधीश (जूनियर विभाग), चंडीगढ़ की फाइल पर थे, के लिए वसूली (i) पहले मुकदमे में 10,48,000 रुपये की राशि; और (ii) दूसरे मुकदमे में 67,31,000 रुपये की राशि। पहले मुकदमे में तथ्य इस प्रकार थे: (i) दूसरा प्रतिवादी यहाँ अपीलार्थी

के पति की बहन है; (ii) पहला प्रतिवादी पति है और तीसरा प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 2 का बेटा है; (iii) प्रतिवादियों ने (मुकदमे में प्रतिवादी) प्रेम चंद अमर चंद के नाम और शैली में भवन सामग्री में व्यापार कर रहे थे; (iv) अपीलार्थी और उनके बेटे का आईसीआईसीआई बैंक, सेक्टर-9, चंडीगढ़ में एक संयुक्त खाता है, जहाँ प्रतिवादियों भी एक खाता बनाए रखते हैं कि प्रतिवादी ने 18.11.2003 को एक चेक के माध्यम से अपीलार्थी से 10,50,000 रुपये की राशि उधार ली; हालांकि प्रतिवादी ने 7.08.2006 को 5,00,000 रुपये की राशि वापस की, छह महीने के भीतर शेष राशि वापस देने का वादा करते हुए, वे प्रतिबद्धता का पालन करने में विफल रहे; कि, इसलिए, प्रतिवादी मूल धन के रूप में 5,50,000 रुपये की राशि और ब्याज के रूप में 4,98,000 रुपये की राशि चुकाने के लिए उत्तराधिकारी थे, इस प्रकार, कुल मिलाकर 10,48,000 रुपये।

5. दूसरे मुकदमे में संक्षेप में मामले इस प्रकार थे: (i) कि 2001-2002 में प्रतिवादी नंबर 1 ने वादी और उसके पति को अपने असली संपत्ति व्यवसाय में शामिल होने के लिए प्रलोभित किया; (ii) कि चूंकि अपीलार्थी और उसके परिवार कुरुक्षेत्र में रह रहे थे और प्रतिवादी चंडीगढ़ में रह रहे थे, प्रतिवादी नंबर 1 ने कुछ खाली कागजों पर पैंटिफ के हस्ताक्षर प्राप्त किए, जिसका तर्क था कि हर बार जब एक लेन-देन को पूरा किया जाना था, इन दोनों स्थलों के बीच हर समय आवाजाही करना संभव नहीं था; **(iii)** कि पैंटिफ और उसका बेटा उसी बैंक की उसी शाखा में खाता रख रहे थे जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 और 2 भी खाता रख रहे थे; **(iv)** कि प्रतिवादी नंबर 1 के असली संपत्ति व्यवसाय में उपयोग के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिए, पैंटिफ और उसका बेटा अपने बैंक खाते में प्रमुख धनराशियों को जमा करवाए रखा था; **(v)** कि मार्च 2006 में पैंटिफ और उसके पति को यह पता चला कि प्रतिवादी ने उनके खाते से विभिन्न तिथियों पर कुल 54,50,000 रुपये की प्रमुख राशियों को निकाल लिया था; **(vi)** कि उसकी अनुरोध पर, बैंक अधिकारी ने रिकॉर्ड प्रस्तुत किए, जिसमें प्रदर्शित हुआ कि 30.12.2005 को 25,00,000 रुपये की राशि का एक चेक, पैंटिफ के हस्ताक्षर की जालीवादी से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा हस्ताक्षरित, कैश किया गया था, अलावा 9.05.2005 को 9,50,000 रुपये की राशि का निकासी और 27.8.2005 को पैंटिफ के लिखित अनुरोध पर 20,00,000 रुपये की अन्य राशि का हस्तांतरण; **(vii)** कि इन राशियों के निकासी/ हस्तांतरण को पैंटिफ ने अधिकृत नहीं किया था, लेकिन इसे पैंटिफ से प्राप्त हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करके किया गया था; **(viii)** कि इन तथ्यों को पता लगाने के बाद, पैंटिफ ने प्रतिवादी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 के साथ धारा 120-B के तहत सजायोग्य अपराधों के लिए FIR नंबर 195 में 14.12.2006 को शिकायत दर्ज कराई; **(ix)** कि प्रतिवादी को आपराधिक मामले में पूर्व-गिरफ्तार जमानत मिली, उन्होंने 50,00,000 रुपये की राशि के बैंक गारंटी जमा कराने पर; और **(x)** प्रतिवादी द्वारा खींचे जाने वाली राशियों और प्रतिवादी के खाते में स्थानांतरित राशियों के साथ 12% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से

67,31,000 रुपये की राशि निकलती है और **(xi)** इसलिए वे कहीं गए राशि की पुनर्प्राप्ति के लिए मुकदमा दायर कर रहे थे।

6. पहले मुकदमे में 10,48,000 रुपये की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रतिवादियों का मामला था: **(i)** कि उन्होंने कभी भी अपीलार्थी से कोई पैसा उधार नहीं लिया; **(ii)** कि 18.11.2003 की तारीख़ के चेक के तहत उन्हें प्राप्त राशि एक संपत्ति में निवेश के उद्देश्य के लिए थी, जो असली संपत्ति व्यवसाय का हिस्सा था; **(iii)** कि 7.08.2006 को उनके द्वारा की गई 5,00,000 रुपये की भुगतान तीन व्यक्तियों यानी सतीश कुमार, प्रेम राज अग्रवाल और ओ.पी. गुप्ता की हस्तक्षेप में पहुँचाए गए समझौते के बाद दावे की पूर्ण और अंतिम समझौता में की गई थी; और **(iv)** कि चूंकि कोई उधार नहीं था, ब्याज की भुगतान का सवाल उत्पन्न नहीं होता है और मुकदमा खारिज करने योग्य था।

7. दूसरे मुकदमे के लिखित बयान में, प्रतिवादियों द्वारा तर्क किया गया था: **(i)** कि अपीलार्थी और प्रतिवादियों ने साल 2001-2002 से संयुक्त रूप से असली संपत्ति व्यापार शुरू किया; **(ii)** कि उन्होंने कई संपत्तियां खरीदी और बेची और मुनाफा साझा किया; **(iii)** कि प्रतिवादियों ने कभी भी अपीलार्थी के हस्ताक्षर खाली कागजों पर प्राप्त नहीं किए; **(iv)** कि 9.05.2005, 27.08.2005 और 30.12.2005 की तारीख के चेकों द्वारा प्रतिनिधित की गई राशियां असली संपत्ति व्यापार में अपीलार्थी और उसके बेटे द्वारा की गई निवेश के प्रति थीं; **(v)** कि अपीलार्थी ने बैंक को पुष्टिकरण पत्र जारी किए, जो दिखाता था कि उन चेकों के तहत की गई भुगतान प्राधिकृत भुगतान थीं; **(vi)** कि अपीलार्थी के बेटे ने अपनी ओर से और अपीलार्थी की ओर से एक हलफनामा दिया; **(vii)** कि उस हलफनामे में, अपीलार्थी के बेटे द्वारा मान लिया गया था कि तीन चेकों के तहत दी गई राशियों में से 30,00,000 रुपये प्रेम और स्नेह के रूप में दिए गए थे; **(viii)** कि अपीलार्थी ने एक झूठा शिकायत दर्ज किया, जैसे कि प्रतिवादियों ने उसे धोखा दिया और हस्ताक्षर जाली करके पैसा निकाल लिया; **(ix)** कि बैंक के खिलाफ आरोपों के मद्देनजर, अपीलार्थी को मुकदमे में बैंक को पक्षकार के रूप में शामिल करना चाहिए था और **(x)** कि प्रतिवादियों द्वारा अपीलार्थी को कोई पैसा नहीं देना है।

8. विचाराधिकारी न्यायालय में, अपीलार्थी ने अपने पति को PW-1 के रूप में परीक्षित किया और अपने आप को PW-2 के रूप में परीक्षित किया। पहले प्रतिवादी ने खुद को DW-1 के रूप में परीक्षित किया और वह DWs 2 और 3 के रूप में, तीसरे पक्ष के मध्यस्थों को परीक्षित किया, जिनकी उपस्थिति में समझौता किया गया था। प्रतिवादियों ने बैंक के प्रबंधक को पत्र की फोटोकॉपी, जिस पर अपीलार्थी का हस्ताक्षर था, प्रदर्शन D-1 के रूप में चिह्नित किया। वे ने भी

2.01.2006 की पुष्टिकरण पत्र को प्रदर्शन D-2 के रूप में और अपीलार्थी के बेटे द्वारा अपनी और अपीलार्थी की ओर से हस्ताक्षरित हलफनामा को प्रदर्शन D-3 के रूप में जमा किया।

9. दिनांक 23.01.2013 के निर्णय और फैसले द्वारा, मुख्य न्यायालय ने पहली मुकदमा को खारिज कर दिया क्योंकि अपीलार्थी-प्रतिवादी ने कर्ज की प्रगति को स्थिर करने में विफल रही और उसकी विफलता अपने बेटे को, जो संयुक्त खाता धारक था, मुकदमे में एक साक्षी के रूप में परीक्षित करने में घातक थी। निचली अदालत ने भी तय किया कि मुकदमा सीमा की अवधि के भीतर नहीं था।

10. दिनांक 22.07.2013 के अलग निर्णय और फैसले द्वारा, निचली अदालत ने दूसरे मुकदमा को इस आधार पर खारिज किया कि पक्षकार असली संपत्ति व्यापार में थे और 7.08.2006 को 5,00,000/- रुपये की चुकता में पूरे और अंतिम समझौते की राशि, DW-2 और DW-3 के रूप में परीक्षित तीसरे पक्ष के मध्यस्थों के संस्करण से साबित हुई। अदालत ने भी तय किया कि प्रतिवादी ने प्रतिवादियों की ओर से धोखाधड़ी को स्थापित करने में विफल रही।

11. जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने 18.03.2015 की दो अलग निर्णयों द्वारा, प्रतिवादी द्वारा 2013 के नागरिक अपील संख्या 903 और 1056 में दायर पहली अपीलों को स्वीकार किया और पहले मुकदमे में 5,50,000/- रुपये की वसूली के लिए फैसला दिया साथ ही निर्धारित तारीख से फैसले की तारीख तक प्रति वर्ष 7.5% की ब्याज दर पर और फैसले की तारीख से वसूली तक प्रति वर्ष 6% की ब्याज दर पर। दूसरे मुकदमे में, मुख्य न्यायालय ने 54,50,000/- रुपये की वसूली के लिए फैसला दिया साथ ही फैसले की तारीख तक प्रति वर्ष 7.5% की ब्याज दर पर और फैसले की तारीख से वसूली तक प्रति वर्ष 6% की ब्याज दर पर।

12. प्रतिवादी ने आर एस ए संख्या 6134 / 2015 और 2016 की 130 में दो दूसरी अपीलें दाखिल की। उन दो दूसरी अपीलों को उच्च न्यायालय ने जजमेंट और दिनांक 20.03.2018 को अनुमोदित किया, जिससे ऐप्लिकेंट द्वारा दाखिल की गई 2 मनी सूट्स का खारिज हो गया। अपीलों को केवल अनुमोदन करने से ही बात ख़त्म नहीं हुई, उच्च न्यायालय ने एक कदम और बढ़ा दिया और उपीलक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में पास किए गए आदेश के द्वारा प्रतिवादी से दिए गए रुपये 55,00,000/- की राशि को साथ ही 7% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने के लिए निर्देशित किया। इसी एक समान जजमेंट के खिलाफ है कि प्राथमिक अपीलकर्ता उपरोक्त अपील के साथ आए हैं।

13. श्री रजीव भल्ला, प्राप्तशिक्षित वकील जिन्होंने यथेष्ट अपीलकर्ता के पक्ष में वकालत की है, उनका दावा है कि प्राथमिक न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पूर्ण और आखिरी विचार के रूप में प्रतिवादीद्वारा प्रस्तुत किए गए पूर्ण और निरंतर समझौते की मांग को स्वीकार करके पूरी तरह से गलत दिशा में गए और उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत प्रदान के प्रक्रिया में दिए गए पैसे की वापसी के आदेश पास करने में बहुत अधिक बढ़ा दिया।

14. *उल्टे*, इसके विरोध में, प्रतिक्रियाकारी के पक्ष से श्री निधेश गुप्ता, जो कि जाने-माने वकील हैं, दावा करते हैं कि ऐप्लिकेंट के बेटे को सह-प्राथमिक प्रकरण के रूप में शामिल करने की या कम से कम उसे गवाह के रूप में परीक्षण करने की असफलता, जो PW-2 के रूप में उसकी खुद की स्वीकृतियों के साथ हुई, उसकी मामले की असत्यापन करती है। एक बार यह पाया गया कि प्रतिवादीको अधिकृत रूप से भुगतान किया गया था और एक बार तीसरे पक्ष मध्यस्थों के माध्यम से समझौते का सिद्धांत था, तो अपीलकर्ता-मुद्दादार को असफल होना बना और इसलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

15. हमने प्रतिस्पर्धी दावों को ध्यान से विचार किया है और साथ ही साथ सभी तीन न्यायालयों के परिपाटियों, सबूतों और निर्णयों का भी परीक्षण किया है।

16. जैसा कि हमने पहले देखा, पहली मानया गया कि एक राशि रुपये 5,50,000/- के लिए था, जिसमें से रुपये 10,50,000/- के रूप में ऋण के रूप में चुकाई जाने का दावा था, जिसका शेष वापस नहीं किया गया था। उन प्रतिवादीद्वारा कथित रूप से चेक नंबर 459745 दिनांक 18.11.2003 के माध्यम से रुपये 10,50,000/- के प्राप्त होने की प्राप्ति को स्वीकार किया गया था। इसी तरह से, प्रतिवादीद्वारा प्लेंटिफ-एप्लिकेंट को 7.08.2006 को रुपये 5,00,000/- के बाद की चुकानी की प्राप्ति अपीलकर्ता द्वारा स्वीकृत है। प्रतिवादीद्वारा सिर्फ यह बचाव लागू किया गया था कि 7.08.2006 को उन्होंने रुपये 5,00,000/- की चुकानी उनके द्वारा पूरी और निरंतर समझौते के रूप में की गई थी। इसे दिखाने के लिए प्रतिवादीने दो तीसरे पक्ष के मध्यस्थों का परीक्षण किया। लेकिन प्रतिवादीद्वारा किसी रसीद का आपलेलकार से प्राप्त नहीं किया गया कि 7.08.2006 को रुपये 5,00,000/- का भुगतान पूरी और निरंतर समझौते के तौर पर था। इसके अलावा कोई लिखित समझौते/समझौते का लिखित मेमोरेंडम नहीं था। जब किसी निर्धारित राशि के पैसे के भुगतान और उसके केवल एक हिस्से के भुगतान को स्वीकार किया जाता है, तो ऐसे मामलों में, जहाँ सभी लेन-देन केवल बैंकिंग संचालनों के माध्यम से हुए हैं और प्राथमिक पक्ष ने यह दावा किया है कि वहाँ व्यापारिक लेन-देन थे, उस पक्ष पर भारी जिम्मेदारी पड़ती है कि उसे दिखाने के लिए कि एक समझौता था। इस प्रकार के मामलों में पूरी और निरंतर समझौते को

स्थापित करने के लिए, तीसरे पक्ष के माध्यमिकों के इस्तेमाल से बाहर, उसे इस सुनवाई की प्रकृति के मामलों में पूरी और निरंतर समझौते को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, जहाँ सभी लेन-देन केवल बैंकिंग संचालनों के माध्यम से हुए थे और दिफेंडेंट्स ने दावा किया कि यहाँ व्यापारिक लेन-देन थे। यह अविश्वनीय है कि उत्तरदाताएँ, जिन्होंने इस तरह का समझौता किया, उसे सफेद और काले में रिकॉर्ड करने में असफल रहे, चाहे वह मेमो के रूप में हो या रसीद के रूप में।

17 . दिलचस्पी की बात है कि प्रतिवादीद्वारा जारी किया गया प्रदर्शनी डी-3, जिसे प्राथमिक रूप से उनके बेटे द्वारा 8.03.2006 को हस्ताक्षर और सत्यापित किया गया माना जाता है, उसमें एक राशि रुपये 30,00,000/- को प्राथमिक रूप से एक प्रेम और स्नेह के रूप में किये जाने वाले भुगतान के रूप में मान्यता देने की भरपूर और उसके बेहाल करने के लिए उसके माता (प्राथमिक) की ओर से हुआ था। अगर, 8.03.2006 को, प्राथमिक और उसके बेटे ने धन्यवाद और स्नेह के रूप में किये गए एक बड़े राशि रुपये 30,00,000/- को मान्यता दिया था, तो 7.8.2006 को तीसरे पक्षों की हस्तक्षेप के साथ परिसमापन में प्रतिवादीद्वारा प्राथमिक और निरंतर भुगतान के रूप में प्राथमिक द्वारा भुगतान किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तीनों न्यायालयों ने इन दो घटनाओं को जो केवल पांच महीनों के अंतराल में हुई थीं, को देखने के लिए नहीं जोड़ पाए, ताकि वे इस खेल को समझ सकें।

18. सीधे शब्दों में कहें तो, प्राथमिक मामले में अपीलकर्ता - वादी की मामले की एक बहाना ऋण देने और अदा न करने की थी। प्रतिवादीद्वारा दिये गए समर्थन की मामले में यह था कि मूल राशि से कम राशि के भुगतान की थी, पूरी और निरंतर समझौते के रूप में। एक पक्ष जो किसी निर्दिष्ट राशि के पैसों की प्राप्ति की स्वीकृति करता है एक विशेष तारीख पर और फिर बाद में पूर्ण और निरंतर समझौते के रूप में छूट का दावा करता है, वही व्यक्ति है जिस पर जिम्मेदारी होती है। प्रतिवादी ने प्राथमिक मामले में इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया था, और, इसलिए, प्राथमिक को प्राथमिक में सफल होने का अधिकार था। उच्च न्यायालय ने इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।

19. दूसरे मामले पर आने के संदर्भ में, अपीलकर्ता - वादी का केस यह था कि विभिन्न राशियों के पैसे द्वारा अनधिकृत रूप से उनके खातों से निकाले गए थे, या फिर प्रतिवादी द्वारा

अनधिकृत रूप से उनके खातों से बाहर भेजे गए थे, और ऐसे लिए गए राशियों का कुल मिलाकर रुपये 54,50,000/- हो गए। प्रतिवादीका समर्थन था कि यह राशियाँ एक वास्तविक ज़मीन जायदाद का कारोबारमें संपत्तिों की खरीददारी और बेचदारी के लिए अधिकृत भुगतानों का प्रतिनिधित्व करती थीं और इन राशियों में से एक राशि रुपये 30,00,000/- को प्रेम और स्नेह के रूप में किये गए भुगतान के रूप में मान्यता दी गई थी।

20. हम एक समय के लिए मान लेते हैं कि रुपये 54,50,000/- की राशि, जो एप्लिकेंट के खाते से प्रतिवादी द्वारा निकाली गई थी या उनके वास्तविक निवेश व्यवसाय में भुगतान के रूप में किये गए थे, तो प्रतिवादी को आवश्यकता है कि वे वास्तविक निवेश व्यवसाय के खातों को प्रस्तुत करें और दिखाएं कि उन राशियों का लेन-देन कैसे किया गया था। उत्तरदाताएँ कोई भी लेखा-बही नहीं प्रस्तुत कर सके। इसलिए, प्रतिवादीने सोचा कि सभी राशियाँ वास्तविक निवेश व्यवसाय में निवेश थे और इसमें से एक हिस्सा मुफ्त भुगतान के रूप में मान्यता दिए जाने का दावा करना उनके लिए सुविधाजनक था। व्यापार लेन-देन और दानिक भुगतान आमतौर पर साथ नहीं जाते हैं। पहले मामले में की तरह, अपीलकर्ता - वादी के खाते से धन का प्रवाह प्रतिवादीके खाते में माना जाता है। जबकि अपीलकर्ता - वादी इस तरह के पैसे का प्रवाह अनधिकृत विथड्रॉ / ट्रांसफर के रूप में कहते हैं, तो उत्तरदाताएँ उसे वास्तविक निवेश व्यवसाय के हिस्से के रूप में दावा करते हैं। इस तरह के एक समर्थन के प्रकार में, दावा करने वाले के ऊपर, दूसरे मामले में भी, दावे करने वाले के ऊपर होती है कि क्या व्यापारिक लेन-देन थे और क्या राशि पूरी तरह से खाता किया गया था। बचाव द्वारा कोई लेखा-बही प्रस्तुत नहीं की गई थी ताकि दिखाया जा सके कि जो राशियाँ प्राथमिक के बैंक खाते से बहार गई थीं, व्यापार के अंदर से अवशोषित और लेखा में समाहित हो गई थीं।

21. प्रदर्शनी डी-3 शपत पात्र एक बहुत ही विचित्र दस्तावेज है, जिसकी स्वीकृति खुद में संदिग्ध है। यह एक गम्भीर आदेश है जिसमें "हम अनीता रानी,.... और सुलभ सिंगला... इस प्रकार से घोषणा करते हैं और घोषित करते हैं।" पढ़ा जाता है। लेकिन इस पर हस्ताक्षर सिर्फ सिंगला द्वारा किए गए हैं। इस शपत पात्रके अनुसार, जिसे 8.03.2006 को स्वरूपित किया गया था, अपीलकर्ता - वादी और उनके बेटे ने प्रतिवादी को प्रेम और स्नेह के रूप में रुपये 30,00,000/- दिए थे। इस शपत पात्रमें आगे कहा गया है कि डिपोनेंट्स और प्रतिवादीके बीच कोई लेन-देन नहीं था। इस स्वीकृति के अनुसार, जिसे 8.03.2006 को घोषित किया गया कि उनके बीच कोई लेन-

देन नहीं था, यह एक कम्पलीट करने और अंत में समझौते का दावा करने के दावे के विरुद्ध है, जो 7.08.2006 को किया गया था

22. पैसे की वसूली के मामले में, जिसमें एक प्रति वादी पैसे की प्राप्ति की स्वीकृति कर लेता है, लेकिन दावा करता है कि यह मुफ्त भुगतान था, उसे यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी होती है कि यह मुफ्त भुगतान था। वास्तव में, प्रदर्शनी डी-3 शपत पात्रजो 8.03.2006 को दिनांकित था, "मुफ्त भुगतान" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है, बल्कि "प्यार और स्नेह" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। लेकिन इस शपत पात्रमें यह भी कहा गया है कि डिपोनेंट्स और प्रतिवादी के बीच कोई लेन-देन नहीं था। इस प्रकार, जबकि इस शपत पात्रपर आश्रिति देते समय, प्रतिवादी वास्तविक रूप से एक आपसी विरोधी मामले का दावा करते हैं, जैसा कि लिखित बयान के पैराग्राफ 8 में प्रकट होता है, जो निम्नलिखित है:

"इसमें यह भी जोड़ा गया है कि पूर्वानुसार उल्लिखित राशि से, वादी द्वारा परिवार के क़रीबी रिश्तों के बिना और वादी और प्रतिवादी के बीच कोई लेन-देन नहीं था, इस तरह का कोई सौदा नहीं था। वादी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ राशि की वसूली के लिए मामला अवैध है क्योंकि प्रतिवादीको वादी को पैसे वापस करने के लिए कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है। प्रतिवादीने कभी भी इस राशि को उधार नहीं लिया और न वादी को पैसे वापस करने के किसी कानूनी कर्तव्य के अधीन हैं। शपत पात्रकी प्रतिलिपि इसके साथ लगी हुई है। इसके बाद, प्रतिवादी ने सम्पत्ति व्यापार के लिए प्रोपर्टी खरीददारी के संबंध में अपने खातों को समझौते से सुलझा लिया था और व्यापारिक प्रोपर्टी व्यापार को चलाने के लिए खरीदी गई अन्य प्रोपर्टीज़ के लिए भी, और उसकी दावा को पूरी और निरंतर संतुष्टि के रूप में समझौते के रूप में उन्होंने पूरी की गई दावा के खिलाफ उसे पूरी करने के लिए रुपये 5.00 लाख की राशि का 7.8.2006 को चैक के माध्यम से वादी को भुगतान किया गया और वादी द्वारा उस चैक का एक्सचेक किया गया है। इस समझौते को श्री सतीश कुमार, श्री ओम प्रकाश के पुत्र श्री सतीश कुमार, श्री देव राज अग्रवाल के पुत्र प्रेम राज अग्रवाल और श्री ओ.पी. गुप्ता श्री रघुनाथ गुप्ता के पुत्र श्री ओ.पी. गुप्ता की हस्तक्षेप के द्वारा कराया गया था। वादी ने उस रुपये 5.00 लाख के चैक को एक बार में और अंत में उसके दावे की संतोष के साथ सभी खातों के सेटलमेंट/समझौते के रूप में स्वीकार किया।"

23. जैसा कि उपरोक्त दावों और प्रदर्शनी डी-3 के अनुसार, कोई लेन-देन नहीं था, लेकिन 8.03.2006 को एक महत्वपूर्ण राशि रुपये 30,00,000/- को मुफ्त भुगतान के रूप में माना गया

था, इसलिए 7.08.2006 को किसी भी खातों के समझौते की कोई आवश्यकता नहीं थी जिससे पूरी और अंत में दावे का समझौता हुआ।

24. यदि पक्षों के बीच व्यापारिक लेन-देन 2001-2002 के बाद से हुआ है, तो यह मुफ्त और स्नेह के रूप में बहुत ही मुश्किल है कि वादी के खाते से बाहर बहने वाली राशियों का हिस्सा था। मुफ्त भुगतान की दावा की गई राशि को साबित करने के आधार के रूप में उपयोग हो रहे केवल प्रमाण यही है कि प्रदर्शनी डी-3में वादी के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसलिए, मुफ्त भुगतान का दावा अविश्वसनीय है और इसे प्रतिवादी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था।

25. जब मुफ्त भुगतान का दावा अविश्वसनीय होता है, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 70 प्रभाव में आएगी। धारा 70 निम्नलिखित रूप से पढ़ी जाती है:

> *"70. **दान के लाभ का आनंद उठाने वाले की अपेक्षिता का कर्तव्य.-** जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ कानूनी रूप से करता है, या उसे कुछ देता है, इसे मुफ्त न करने का इरादा न रखते हुए, और वैसे अन्य व्यक्ति उसका लाभ उठाता है, तो दूसरा व्यक्ति उस चीज के बारे में, या उसको पुनः प्राप्त करने के संदर्भ में, पहले व्यक्ति के प्रति मुआवजा देने के लिए या पुनः देने के लिए बदल देने के लिए बंधा जाता है।"*

26. जैसे कि इस मामले में इस न्यायालय ने ***राज्य बंगाल बनाम बी.के. मोंडल एंड सन्स*** [1] में कहा है, धारा 70 का मूल आधार यह है कि किसी द्वितीय पक्ष द्वारा कुछ किया गया था दूसरे पक्ष के लिए और ऐसा काम जो स्वेच्छा से किया गया था, वह किसी और द्वारा स्वीकार किया गया था। इसलिए, इसके एक अनुकूल, यह दावा कि व्यापारिक लेन-देन की प्रकृति के एक चल रहा अनुबंध है, धारा 70 के बहुत ही तत्व के खिलाफ है। इसी कारण धारा 70 भारतीय अनुबंध अधिनियम के अध्याय V का हिस्सा है, जिसका शीर्षक है "अनुबंध द्वारा बनाए गए अनुबंध के रूप में दृष्टिगत कुछ रिश्तों के".

27. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी ने मान लिया है कि मुद्दादार-अपीलकर्ता द्वारा दावा की गई राशियों का या तो मुद्दादार द्वारा भुगतान किया गया था या मुद्दादार के खाते से उनके स्वयं के खाते में जारी था। इसलिए, यह भार प्रतिवादी पर था कि वे

या तो हिसाबों के समझौते के रूप में मुक्ति साबित करें या भुगतान के निःशुल्क स्वभाव को। प्रतिवादी ने उन पर डाले गए सबूत के भार को निभाने में पूरी तरह विफल रहे। इसलिए, जब असहमतियों में से कुछ को मुद्दादार से प्रतिवादी तक पैसों की भुगतान/प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो मुद्दादार-अपीलकर्ता को एक निर्णय मिलता है, खासकर जब उसके सबूत में कुछ असहमतियां हों।

28. उपर्युक्त दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय के निर्णय और फैसलों को रद्द किया जाता है और पहली अपील अदालत के निर्णय और फैसलों को पुनः स्थापित किया जाता है। अन्य शब्दों में, इन दोनों मामलों में जिला न्यायालय, चंडीगढ़ के फैसलों के अनुसार एक हुक्मनामा होगी, जो सिविल अपील नंबर 903 और 1056 / 2013 में किये गए जिला न्यायालय के निर्णय के अनुसार है। इन अपीलों में वादी को लागतें मिलेंगी, जिन्हें हम 50,000 रुपये में मानयोगी रूप से मान्यता देते हैं। 18.05.2018 को इस न्यायालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा जमा किया गया राशि और 14.12.2018 को इस न्यायालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक ब्याज धारक मीयादी जमा में जमा किया गया राशि रजिस्ट्री द्वारा संचित ब्याज के साथ अपीलकर्ता को जारी किया जाएगा।

देविका गुजराल अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित